

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 442/2012 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 28.06.2012

फाइलिंग नंबर : 230303006822012

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

### बनाम

1—उदयसिंह पुत्र रामरतन जाटव उम्र 33 वर्ष  
2—कोमेश पत्नी उदयसिंह जाटव उम्र 30 वर्ष  
3—सावित्री पत्नी रामरतन उम्र 65 वर्ष  
निवासीगण ग्राम हडियापुरा थाना गोहद जिला भिण्ड  
म.प्र.

— अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा-174(क) भा0द0सं0 )

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता )

### निर्णय

( आज दिनांक 11-09-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 03.10.11 को शाम 5 बजे द.प्र.स. 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान एवं विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहने हेतु भा0द0स की धारा 174(क) के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि थाना गोहद के अप0क0 118/11 धारा 304बी, 498ए, 201/34 भा0द0स0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी उदयसिंह, कोमेश, एवं सावित्री के फरार होने के कारण न्यायालय गोहद द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 02.09.11 को द.प्र.स. की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गयी थी एवं उक्त उद्घोषणा के

अनुसार दिनांक 03.10.11 को आरोपीगण को न्यायालय में उपस्थित होना था किन्तु आरोपीगण दिनांक 03.10.11 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस कारण आरोपीगण के विरुद्ध द.प्र.स. की धारा 174(क) का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा भी आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण कायम करने के लिए पत्र जारी किया गया था। आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क0 252/11 पर धारा 174(क) भा0द0स0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

03. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

04. द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

05. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपीगण दिनांक 03.10.11 को शाम 5 बजे द.प्र.स. 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं हुए थे ?

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से यू.एन.एस. परिहार अ0सा01, रामप्रकाश उर्फ प्रकाश अ0सा02, एवं ए.एस.आई. रामनिवाससिंह अ0सा03, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी उदयसिंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

07. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी यू.एन.एस. परिहार अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 23.11.11 को अनुविभागीय अधिकारी गोहद के पत्र के अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. ए.एस.आई. रामनिवास अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपन कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 24.11.11 को उक्त प्रकरण विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसने साक्षी प्रकाश, बाबूराम एवं यू.एन.एस. परिहार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए थे उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-3 लगायत 5 बनाये थे जिनके क्रमः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने विवेचना के

दौरान अप0क्र0 118/11 एवं धारा 82 के अंतर्गत जारी की गयी उद्घोषणा की सत्यप्रतिलिपि जप्त की थी एफ.आई.आर. प्र0पी-6 है न्यायालय की आदेश पत्रिका प्र0पी-7 एवं धारा 82 के अंतर्गत आरोपीगण को जारी उद्घोषणा प्र0पी-8, 9 एवं 10 है।

09. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि धारा 82, 83 के अंतर्गत कार्यवाही करते समय पहले फरारी पंचनामा बनाते हैं एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज चालान के साथ संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि फरार होने के संबंध में उद्घोषणा चस्पा की गयी थी एवं यह दर्शित होता हो कि फरार होने के संबंध में फरार होने संबंधी उद्घोषणा आरोपीगण के गांव में उनके भवन, में पंचायत भवन में एवं न्यायालय भवन में चस्पा की गयी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्र में कराया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि समाचार पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है।

10. साक्षी रामप्रकाश अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने फरारी पंचनामा प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण के मकान, गांव के स्कूल, एवं शासकीय स्कूल पर नोटिस चस्पा किया था।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. बचाव पक्ष की ओर से उक्त संबंध में आरोपी उदयसिंह ब0सा01 को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह तथा अन्य आरोपीगण फरार नहीं हुए थे पुलिस ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की कार्यवाही की गयी थी।

13. प्रस्तुत प्रकरण में ए.एस.आई. रामनिवाससिंह अ0सा03 जिसके द्वारा समस्त कार्यवाही की गयी है, ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा हस्तगत प्रकरण की विवेचना की गयी थी एवं विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण के विरुद्ध उद्घोषणा पंचायत भवन, न्यायालय भवन पर चस्पा की गयी थी।

14. यहां यह उल्लेखनीय है कि द.प्र.स. की धारा 82 के अनुसार फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है तथा द.प्र.स. की धारा 82 के खण्ड 2 में यह प्रावधानित किया गया है कि उद्घोषणा किस प्रकार प्रकाशित की जायेगी। उक्त

प्रावधान के अनुसार :-

- (1)-उद्घोषणा उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जायेगी।
- (2)-वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी।
- (3)-उसकी एक प्रति उस न्यायिक सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगायी जायेगी।
- (4)-यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

उक्त प्रावधान के खण्ड 3 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि “उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप में प्रकाशित कर दी गयी है इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गयी थी।”

15. इस प्रकार द.प्र.स. की धारा 82 के खण्ड 3 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का यह लिखित कथन कि उद्घोषणा सम्यक रूप में प्रकाशित कर दी गयी थी इस बात का निश्चायक साक्ष्य होता है कि उद्घोषणा का प्रकाशन सम्यक रूप से कर दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का ऐसा कोई लिखित कथन आदेश पत्रिका अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है।

16. जहां तक साक्षी यू.एन.एस. परिहार अ0सा01 एवं रामप्रकाश अ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो रामप्रकाश अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। साक्षी यू.एन.एस. परिहार अ0सा01 द्वारा मात्र प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी उद्घोषणा के प्रकाशन का साक्षी नहीं है एवं उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अप0क0 118/11 की विवेचना की जानकारी उसे नहीं है। इस प्रकार यू.एन.एस. परिहार अ0सा01 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा प्रकरण में मात्र प्र0पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है उक्त साक्षी को अन्य कोई जानकारी नहीं है।

17. प्रकरण में आरोपीगण द्वारा यह बचाव लिया गया है कि उन्हें उक्त उद्घोषणा संसूचित नहीं हुई थी। प्रकरण में मुख्य रूप से न्यायालय को यही विचार करना है कि क्या उद्घोषणा का सम्यक प्रकाशन हुआ था एवं उद्घोषणा की जानकारी आरोपीगण को हो गयी थी। अभियोजन द्वारा उद्घोषणा जारी करने



वाले न्यायालय की ऐसी कोई आदेश पत्रिका प्रकरण में पेश नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि उद्घोषणा का सम्यक प्रकाशन हुआ था। अभियोजन द्वारा जो प्र०पी-7 की आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश की गयी है उससे भी सिर्फ यही दर्शित होता है कि न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 02.09.11 को उद्घोषणा जारी की गयी थी। परन्तु उक्त आदेश पत्रिका से यह दर्शित नहीं होता है कि उद्घोषणा का प्रकाशन विनिर्दिष्ट स्थानों पर सम्यक रूप से किया गया था एवं उद्घोषणा आरोपीगण को संसूचित हो गयी थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो प्र०पी-2 का फरारी पंचनामा प्रस्तुत किया गया है वह भी उद्घोषणा जारी होने के पूर्व दिनांक 01.09.11 का है। अतः उक्त पंचनामे से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

18. साक्षी ए.एस.आई. रामनिवाससिंह अ०सा०३ जिसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की गयी है, का भी ऐसा कहना नहीं है कि उसके द्वारा सम्यक रूप से पंचायत भवन, न्यायालय भवन पर उद्घोषणा चस्पा की गयी थी। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने समाचार पत्र में उद्घोषणा का प्रकाशन कराया था परन्तु उक्त संबंध में समाचार पत्र की प्रति अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। साक्षी रामनिवाससिंह अ०सा०३ के कथनों से भी यह दर्शित नहीं होता है कि उद्घोषणा का सम्यक रूप से प्रकाशन हुआ था।

19. प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में ए.एस.आई. रामनिवाससिंह अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित नहीं होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध जारी उद्घोषणा का सम्यक प्रकाशन हुआ था। साक्षी यू.एन.एस. परिहार अ०सा०१ द्वारा भी उक्त संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश अ०सा०२ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अभियोजन की ओर से उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय की ऐसी कोई आदेश पत्रिका भी प्रकरण में पेश नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि उद्घोषणा का सम्यक रूप से प्रकाशन हुआ था। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि उद्घोषणा का सम्यक रूप से प्रकाशन हुआ था एवं उद्घोषणा आरोपीगण को संसूचित हो गयी थी। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपीगण उद्घोषणा की जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण दिनांक 03.10.11 को शाम 5 बजे द.प्र.स. 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान एवं विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहे थे। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए आरोपी उदयसिंह, कोमेश, एवं

सावित्री को भा0द0स0 की धारा 174(क) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक—11.09.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)